न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–21/2021 (2021/40) दर्ज दिनांक 27.01.2021

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. अर्जुनसिंह पुत्र छगनसिंह राव
2. अनोपकंवर पुत्री चम्पासिंह राव
3. कालूसिंह पुत्र छगनसिंह राव
4. गंगाकंवर पुत्री छगनसिंह राव
5. गीताबाई पुत्री चम्पासिंह राव
6. धुलबाई पुत्री स्व0 चम्पासिंह राव
7. न्रपतसिंह पुत्र चम्पासिंह राव
8. प्रहलाद पुत्र विजयसिंह राव
9. भंवरी पुत्री विजयसिंह राव
10. भीमसिंह पुत्र छगनसिंह राव
11. भोपासिह पुत्र छगनसिंह राव
12. मुन्नी पुत्री विजयसिंह राव
13. मुलीबाई पुत्री चम्पासिंह राव
14. रूकमण पत्नी स्व0 विजयसिंह राव
15. लहरबाई पत्नी स्व0 कानसिंह राव

सर्व निवासी सतढूंढिया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा। ––प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र नानुसिंह राव
2. उदयसिंह पुत्र गेदसिंह राव
3. गणपतसिंह पुत्र गेंदसिंह राव
4. धनसिंह पुत्र तुलसीसिंह राव
5. मोहनसिंह पुत्र रामसिंह राव
6. नागेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह राव
7. गुलाबी पत्नी गोविन्दसिंह राव
8. भगवानलाल पुत्र डालू सुथार
9. श्यामलाल पुत्र डालू सुथार

सर्व निवासी सतढूंढ़िया तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर। ––विपक्षीगण

उपस्थिति– **अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री सुनील बापना**
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:32:49 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांकः–16.02.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 [illegible] विरूद्ध प्रस्तुत कर ग्राम सतढूंढिया पटवार हल्का ढोसर [illegible] प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 541 रकबा 0.55 [illegible] 543 रकबा 0.51 हे0 545 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.44 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 92 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

उप खण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

1.

प्रकरण संख्या :–21 / 2021 (2021 / 40)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। पेरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होने से जवाबदेही बंद की गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया।प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार हैअतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सतढूंढिया पटवार हल्का ढोसर तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 541 रकबा 0.55 हे0, 543 रकबा 0.51 हे0, 545 रकबा 0.38 हे0 कुल किता 03 कुल रकबा 1.44 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 92 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 550/– (पांच सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढ़ी की कमिश्नर फीस राशि 550/– (पांच सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.03.09 14:32:49 IST
Reason: SelfAttested